सं0-32/2021/155/23-12-2021-जी0आई066/2016

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत चालू कार्य पर जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-12680बीजी/7बी-मांग/2020-21, दिनांक 04.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-10/2016/1158/23-12-16-107जी0आई0/16, दिनांक 02.08.2016 द्वारा कतिपय अन्य कार्यों के साथ-साथ अधोतालिका के कालम-4 में अंकित कार्य हेतु कालम-5 में अंकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्समय जी0एस0टी0 प्रभावी नहीं था। अत: अधोतालिका के कालम-4 में अंकित कार्य की कालम-5 में अंकित स्वीकृत लागत में, कालम-6 में अंकित जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कालम-7 में उनके सम्मुख अंकित कुल लागत के सापेक्ष कालम-9 में अंकित देय जी0एस0टी0 की धनराशि हेतु निम्नानुसार रू0 36.15 लाख (रू0 छत्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत	अनुमन्य जी0एस0टी0 की धनराशि	कार्यों की लागत (जी0एस0 टी0 सहित)	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि0ख0 भवन बरेली	10/2016/1158/ 23-12-16-107जी0आई0-/16, दिनांक 02.08.2016	नवाबगंज--दलेलनगर-बहरजागीर मार्ग के किमी0 1-16 तक (कुल 16 किमी0) में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	2782.00	36.15	2818.15	2782.00	**36.15**
			योग	**2782.00**	**36.15**	**2818.15**	**2782.00**	**36.15**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रश्नगत कार्य की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-10/2016/1158/23-12-16-107जी0आई0/16, दिनांक 02.08.2016की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(5) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(7) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(8) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0421-सडकों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो के लिये व्यवस्था(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-ई-8-878/दस-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-32/2021/155(1)/23-12-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्रीजी/मा0 लोक निर्माण मंत्री,लो0नि0वि0,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
10- लोक निर्माण अनु0-10
11- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।